यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल** के माह **10/2019** से माह **11/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **08.12.2020** से **19.12.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक तथा श्री असीम मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **21.10.2019** से **31.10.2019** तक संपादित की गई थी। जिसमें माह **01/2018** से **09/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **10/2019** से **11/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- खंड द्वारा मार्गों, सेतु, भवन इत्यादि का निर्माण एवं रख-रखाव किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र विकास खंड-पोखड़ा, पाबौ का पट्टी खास्यू का क्षेत्र एवं कोट व पौड़ी ब्लॉक का आंशिक क्षेत्र शामिल है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	0.000	0.000	445.66	440.37	5.29	1195.80	1195.70	(-) 0.10
2019-20	0.000	0.000	17.07	16.31	0.76	994.75	980.66	(-)14.09
2020-21 (Upto 11/2020)	0.000	0.000	16.47	14.36	2.11	652.75	567.32	(-)85.43

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21 (Upto 11/2020)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
शून्य									

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा मार्गों, सेतु, भवन इत्यादि का निर्माण एवं रख-रखाव किया जाता है। इकाई को बजट का आवंटन राज्य सरकार एवं निक्षेप कार्यों हेतु संबन्धित ग्राहक विभाग द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को शामिल न करते हुए इकाई **"अ"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत हैः- **सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन→प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड→ मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. पौड़ी→ अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत, लो.नि.वि. पौड़ी→ अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **06/2020** (आय) तथा **03/2020 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पौड़ी अरकनी-खंडूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

(iv) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2019 तथा 03/2013 तक की गई।

(v) **फार्म 51:** माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम : ₹ (-) 417480.00
भाग द्वितीय : ₹ 91872.00

3. खंड के उच्च्यंत लेखों के अवशेष माह 11/2020 के अन्त में निमन्वत थे:-

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : ₹ 5954126.00
(ख) सामग्री क्रय : शून्य
(ग) नगद परिशोधन : शून्य
(घ) निक्षेप : ₹ 23488181.00
(ङ) भण्डार : ₹ 4527591.00

भाग II-'ब'

प्रस्तर 1 : रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास अंशदान तथा स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति के रूप में `3,18,035/- की कटौती कर राजकोष / बैंक में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के नियम 4 के अनुसार निगमों एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा चुगान पट्टे हेतु आवेदन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-6 में निर्धारित प्रारूप पत्र एम.एम.-1 तथा अल्प अवधि के अनुज्ञा हेतु नियम-52 में निर्धारित प्रपत्र एम.एम.-8 में संबन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में चार प्रतियों में आवश्यक संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपरोक्त नीति के नियम 5 में निर्धारित आवेदन शुल्क की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक – "0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग" में संबन्धित जनपद के कोषागार में आवेदक द्वारा जमा कराई जायेगी। बिना अनुज्ञापत्र के उपखनिजों का खनन अथवा चुगान किया जाना अवैध खनन की श्रेणी में आता है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/VII-1/2018/80-ख/18 दिनांकित 14.02.2018 के द्वारा उपखनिजों की निकासी हेतु निम्नानुसार संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क निर्धारित किए गए हैं:-

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क – रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान – रॉयल्टी का 25 प्रतिशत
(iv) क्षतिपूर्ति – रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

उत्तराखण्ड शासन द्वारा रॉयल्टी की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

खनिज का नाम	शासनादेश संख्या	रॉयल्टी की दर (धनराशि ` में)
6. नदी तल से भिन्न स्थानों से से प्राप्त खंडास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 से.मी. से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26.02.2016	`194.50 प्रति घन मीटर अर्थात `8.85 प्रति कुंटल
8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016	`154.00 प्रति घन मीटर अर्थात `7.00 प्रति कुंटल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संबन्धित ठेकेदारों द्वारा उपखनिजों के खनन हेतु जिलाधिकारी से अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किए गये थे अर्थात उनके द्वारा उपखनिजों का अवैध खनन किया गया था जिस पर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1031/VII-1/2015/158-ख/2004 दिनांकित 31 जुलाई 2015 {उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015)} के नियम 13

2(ख) के अनुसार, "अवैध भंडारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 के उपनियम (2) एवं नियम 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनराशि `2,00,000/- (रू॰ दो लाख मात्र) के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/ परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य (रॉयल्टी का पाँच गुना तक) की धनराशि उपरोक्तनुसार आंगणित कर वसूल किए जाने का प्रावधान है।"

आगे जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के भुगतान के समय इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार संलग्नक में उल्लिखित **28** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`1,02,368/-** की रॉयल्टी, **`80,337/-** के जिला खनिज फाउंडेशन न्यास अंशदान तथा **`1,35,330/-** के स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई गई थी जिसके कारण शासन को कुल **`3,18,035/-** के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदारों द्वारा नदी तल से भिन्न स्थानों से उपखनिजों का चुगान किया जाता है परन्तु चुगान हेतु ठेकेदारों द्वारा जिलाधिकारी से अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास अंशदान तथा स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति की कम कटौती अथवा कटौती न किए जाने के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने बताया कि संबन्धित शासनादेशों एवं स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में उपरोक्त कटौतियाँ नहीं की जा सकीं थीं। वसूली के सम्बंध में इकाई ने बताया कि संबन्धित ठेकेदारों के आगामी देयकों अथवा धरोहर धनराशि से **`3,18,035/-** की वसूली कर राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

इकाई के उत्तर से स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि होती है अतः संबन्धित ठेकेदारों से **`3,18,035/-** की वसूली किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल द्वारा निर्माण कार्यों के भुगतानों से रॉयल्टी, जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास अंशदान तथा स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति की कटौती न किए जाने का विवरण

क्रं.सं.	अनुबन्ध/कार्यादेश संख्या/दिनांक	रनिंग बिल संख्या	कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा (घन मीटर में)	कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष जो कटौतियाँ की जानी थीं			कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष जो कटौतियाँ की गईं			अन्तर (`)			कुल
				रॉयल्टी	जिला खनिज अंशदान	स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति	रॉयल्टी	जिला खनिज अंशदान	स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति	रॉयल्टी	जिला खनिज अंशदान	स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति	
1	28/AE 07.08.19	1st RA Bill	215.63	41941	10485	7130	41941	0	0	0	10485	7130	17615
2	99/AE 22.02.20	2nd RA Bill	45.00	8753	2188	1488	6953	1738	0	1800	450	1488	3738
3	83/AE 28.01.20	2nd & Final Bill	108.64	21130	5283	3592	16785	0	0	4345	5283	3592	13220
4	100/AE 22.02.20	1st RA Bill	61.63	11987	2997	2038	11987	2997	0	0	0	2038	2038
5	99/AE 22.02.20	1st RA Bill	130.47	25376	6344	4314	25376	6344	0	0	0	4314	4314
6	98/EE 22.02.20	1st RA Bill	219.48	42689	10672	7257	42689	10672	0	0	0	7257	7257
7	26/AE 07.08.19	1st & Final Bill	186.97	36366	9092	6182	36366	0	0	0	9092	6182	15274
8	01/AE 12.06.19	1st & Final Bill	57.82	11246	2812	1912	11246	0	0	0	2812	1912	4724
9	114/AE	1st & Final Bill	126.16	24538	6135	4171	19428	4857	0	5110	1278	4171	10559
10	95/AE 29.01.20	1st & Final Bill	53.86	10476	2619	1781	8294	2074	0	2182	545	1781	4508
11	90/AE 29.01.20	1st & Final Bill	55.26	10748	2687	1827	8510	2128	0	2238	559	1827	4624
12	01/AE 04.04.18	1st RA Bill	164.87	32068	8017	5452	32068	0	0	0	8017	5452	13469
13	42/AE 11.11.19	1st & Final Bill	225.42	43844	10961	7453	43844	0	0	0	10961	7453	18414
14	110/AE 26.02.20	1st & Final Bill	81.89	15928	3982	2708	12612	3153	0	3316	829	2708	6853
15	101/AE 22.02.20	1st & Final	103.57	20144	5036	3424	15950	3988	0	4194	1048	3424	8666

		Bill											
16	102/AE 22.02.20	1st & Final Bill	103.09	20051	5013	3409	15876	3969	0	4175	1044	3409	8628
17	103/AE 22.02.20	1st & Final Bill	124.25	24167	6042	4108	24105	6026	0	62	16	4108	4186
18	104/AE 22.02.20	1st & Final Bill	353.41	68738	17185	11685	54424	13606	0	14314	3579	11685	29578
19	82/AE 28.01.20	1st & Final Bill	368.70	71712	17928	12191	52700	17564	0	19012	364	12191	31567
20	09/EE 15.06.19	2nd RA Bill	73.55	14305	3576	2432	11328	2832	0	2977	744	2432	6153
21	86/AE 28.01.20	2nd & Final Bill	58.56	11390	2848	1936	9018	2255	0	2372	593	1936	4901
22	86/AE 28.01.20	1st RA Bill	219.35	42664	10666	7253	33780	8445	0	8884	2221	7253	18358
23	96/AE 29.01.20	1st RA Bill	125.28	24367	6092	4142	19294	4823	0	5073	1269	4142	10484
24	83/AE 28.01.20	1st RA Bill	190.88	37126	9282	6311	29396	7349	0	7730	1933	6311	15974
25	89/AE 28.01.20	1st & Final Bill	143.70	27950	6988	4752	22130	5533	0	5820	1455	4752	12027
26	62/EE 04.09.17	5th RA Bill	216.40	42090	10523	7155	33326	8332	0	8764	2191	7155	18110
27	35/EE 21.09.19	2nd RA Bill	108.92	21186	5297	3602	21186	0	0	0	5297	3602	8899
28	33/EE 21.09.19	2nd RA Bill	170.11	33087	8272	5625	33087	0	0	0	8272	5625	13897
कुल योग			**4092.87**	**796067**	**199022**	**135330**	**693699**	**118685**	**0**	**102368**	**80337**	**135330**	**318035**

भाग II-'ब'

प्रस्तर 2 : `176.35 लाख के व्ययोपरांत भी निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण न किया जाना तथा संबन्धित ठेकेदारों पर क्षतिपूर्ति अध्यारोपित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 1421/I I I(2)/16-37(एम.एल.ए.)/2015टी.सी. दिनांक 27.06.2016 के माध्यम से **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत विधान सभा पौड़ी में अनूसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) में अरकनी-खन्दूरखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के किमी. 8 मटाखाली से कोल्टा, मुछियाली होते हुए ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (कुल लम्बाई: 8.720 किमी.)** हेतु **`417.68 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किए जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से संबन्धित माइलस्टोन एवं समय सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य न किए जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त निर्माण कार्य पर प्राविधिक स्वीकृती प्रदान करते समय कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल द्वारा यह प्राविधिक टिप्पणी की गई थी कि निर्माण से निकलने वाले मलबे को वैली साइड में गिराने से बचाया जाय तथा अधिकतम मलबे का निस्तारण मक डिस्पोजल स्थल पर ही किया जाय। मक डिस्पोजल स्थल पर मलबे की स्थिरता हेतु आवश्यक प्रविधान अनुबन्ध में किए जायें।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल द्वारा सम्पादित कराये जा रहे उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित आगणन, अनुबन्धों एवं पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि:-

(i) अनुबन्ध संख्या 11/EE, 13/EE, 15/EE, 16/EE, 17/EE, 18/EE तथा 21/EE दिनांक 15.06.2019 में वर्णित कार्यों को दिनांक 14.03.2020 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु उपरोक्त कार्यों को 09 माह की अवधि बीतने के पश्चात भी लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक पूर्ण नहीं किया गया था। शासनादेशानुसार संबन्धित ठेकेदारों पर इकाई द्वारा कोई क्षतिपूर्ति भी अध्यारोपित नहीं की गई थी।

(iii) उपरोक्त निर्माण कार्य के विस्तृत आगणन के अनुसार मक डिस्पोजल मद में निम्नलिखित कार्य करवाये जाने थे:-

(a) Haulage excluding Loading & Unloading-Haulage of materials by tipper excluding cost of loading, unloading and stacking. Unsurfaced Gravel Road **(Qty: 76760.80 MT, Lead: 1.00 KM, Cost: `4,60,564.80)**

(b) Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS:280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders as per direction of Engineer-in-Charge. GI wires with 8 gauge BWG **(Qty: 1694.25 CuM, Cost: `27,13,849.65)**

इस प्रकार विस्तृत आगणन में मक डिस्पोजल हेतु कुल **`35,55,344.18 (`31,74,414.15+ `3,80,929.73 GST@12%)** का प्रावधान किया गया था परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई द्वारा मक डिस्पोजल हेतु कोई अनुबन्ध गठित नहीं किया गया था और न ही अन्य ठेकेदारों के साथ गठित किए गए अनुबन्धों में मक डिस्पोजल हेतु कोई प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त अनुबन्धों के कार्यस्थल पर ग्रामीणों द्वारा समय-समय पर विवाद के कारण कार्य बाधित रहा जिसके कारण कार्य में विलम्ब हुआ। वर्तमान में कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है तथा समयवृद्धि के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है। मलबे के निस्तारण के सम्बंध में इकाई ने बताया कि मुख्य अभियन्ता की प्राविधिक टिप्पणी के अनुपालन में पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पर मलबे का निस्तारण किया गया है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:-

(i) इकाई द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण कार्य का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था। लेखापरीक्षा तिथि तक समयवृद्धि प्रदान किए जाने अथवा क्षतिपूर्ति आरोपित किए जाने के सम्बंध में इकाई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ii) इकाई का यह कथन कि उपरोक्त अनुबन्धों के सापेक्ष कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए मान्य नहीं हैं क्योंकि अपने उत्तर के समर्थन में कार्य पूर्ण किए जाने से संबन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका की छायाप्रति इत्यादि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए तथा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि 30% कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक किया जाना अवशेष है।

(iii) मलबे के निस्तारण के सम्बंध में इकाई का उत्तर इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि मलबे के निस्तारण हेतु अनुबन्धों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था और न ही मलबे के निस्तारण पर आतिथि तक कोई धनराशि व्यय की गई है। जिससे स्वतः ही यह स्पष्ट है कि किसी के भी द्वारा मलबे का निस्तारण नहीं किया गया था ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3: ₹ 85.68 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अंतर्गत भरतपुर-सुन्दरई-डबरा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 किमी) के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा अगस्त 2013 में ₹ 17.55 लाख हेतु प्रदान की गई थी जिस के अंतर्गत समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों (सर्वेक्षण कार्य, वन भूमि के लिए सीमांकन; ड्राइंग डिजाइन; मृदा परीक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व यातायात मूल्यांकन का कार्य तथा विस्तृत आगणन का गठन) को समयबद्द रूप से पूर्ण किया जाना था। वर्णित शासनादेश में अवमुक्त धनराशि का व्यय मार्च 2014 के अंत तक सुनिश्चित करना निर्देशित था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2020) के दौरान संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि प्रक्रियात्मक कार्यों को पूर्ण कर दूसरे चरण हेतु गठित आगणन पर शासन द्वारा ₹ 139.65 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिसम्बर 2017 में तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति मई 2018 में प्रदान की गई। विस्तृत आगणन में पहाड़ कटान, दीवारों का निर्माण, पक्के स्कपर एवं कैचपिट का निर्माण, 10 सेमी॰ मोटाई में जी॰1 का कार्य, कच्ची नाली निर्माण, पैरापिट निर्माण आदि कार्य प्रावधानित थे। उक्त कार्यों के आगणन में ₹ 120.39 लाख निर्माण हेतु तथा शेष ₹ 19.26 लाख contingency व GST हेतु प्रावधानित किए गए थे।

प्रश्नगत मार्ग से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में निम्नवर्णित अनियमितताएँ प्रकाश में आईं:

- प्रथम चरण के अंतर्गत अगस्त 2013 में स्वीकृति मिलने के पश्चात मार्च 2014 तक अवमुक्त धनराशि व्यय कर कार्य पूर्ण किया जाना था परंतु विस्तृत आगणन गठित किए जाने में चार वर्ष का अनावश्यक विलम्ब किया गया।
- वर्णित कार्य ₹ 139.65 लाख हेतु स्वीकृत होने के फलस्वरूप पूरे कार्य के सम्पादन हेतु ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाते हुए एक साथ अनुबंध गठित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर के ई-टेंडरिंग का माध्यम अपनाए जाने संबंधी नियमों की अनदेखी की गई।
- गठित अनुबंधों के अंतर्गत कार्यक्षेत्र को कम किया गया तथा मात्र पहाड़ कटान एवं स्कपर व कैचपिट निर्माण हेतु 07 अनुबंध गठित किए गए **(विवरण संलग्न)।** आगणन में प्रावधानित शेष कार्य मदों हेतु कोई अनुबंध गठित नहीं किया गया था तथा वर्णित 07 अनुबंधों के अंतर्गत भी लेखापरीक्षा सम्पादन तक कार्य अपूर्ण था।
- किमी 4.00 (क्रॉस सेक्शन 3/0 से 3/20) में कार्य निष्पादन हेतु गठित अनुबंध के अंतर्गत दोषपूर्ण कटिंग व अपूर्ण निष्पादन के बावजूद ठेकेदार के विरुद्द कोई दंडात्मक कारवाई नहीं की गई तथा अनुबंध का अंतमीकरण कर अगस्त 2020 में उक्त चेनेज में डिफ़ेक्ट कटिंग, स्कपर व भाग दो के कार्य निष्पादन हेतु नया अनुबंध गठित किया गया।
- स्वीकृत धनराशि ₹ 139.65 लाख के सापेक्ष ₹ 132.49 लाख इकाई को अवमुक्त किए जा चुके थे जिस में से मात्र ₹ 85.68 लाख का व्यय किया जा चुका था। उक्त व्यय धनराशि से, संलग्न विवरण अनुसार, कुल 3.00 किमी. के सापेक्ष 2.00 किमी. लंबाई (किमी 5.00 व 6.00) में मात्र 15 से 19 प्रतिशत तक कार्य संपादित किया गया था तथा केवल पहाड़ कटान का कार्य 50 से 60 प्रतिशत निष्पादित करने के उपरांत लेखापरीक्षा सम्पादन तक कार्य अवरुद्द था। इस प्रकार अनुबंधों में निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि से दो वर्षों के विलम्ब के बावजूद कार्य अपूर्ण रहा।
- अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु न समयवृद्दि की मांग की गई थी और न उन के विरुद्द कोई अर्थदण्ड अथवा परिनिर्धारित हर्जाना आरोपित कर वसूली की गई थी।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कार्य स्थल पर संरेखण के संबंध में लम्बे समय तक विवाद के कारण सहमति में विलम्ब हुआ तथा आगणन गठन का कार्य संरेखण निस्तारण के बाद ही किया गया। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात काश्तकारों द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया जिस कारण लम्बे समय तक कार्य बाधित रहा। किमी 4.00 में दोषपूर्ण कटिंग व अपूर्ण निष्पादन के बावजूद अनुबंध का

अंतमीकरण करने के संबंध में बताया गया कि अनुबंधित अवधि समाप्त होने के उपरांत ठेकेदार द्वारा पुनः कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गई जिस कारण अनुबंध का यथास्थिति बिना अर्थदण्ड के अंतामिकरण करते हुए नया अनुबंध गठित किया गया। उत्तर में आगे बताया गया कि समयवृद्दि प्रकरण की कार्यवाही गतिमान है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संरेखण संबंधी विवादों को सुलझाने में पहले ही चार वर्ष का समय लगा था। अतः कार्य निष्पादन के समय दोबारा विवाद के कारण कार्य बाधित होने का तर्क औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। इस के अतिरिक्त समयवृद्दि प्रकरण की कार्यवाही गतिमान होने अथवा कार्य प्रगति पर होने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। ठेकेदारों द्वारा न तो समयवृद्दि प्रदान करने हेतु कोई आवेदन किया था और न इकाई द्वारा दोबारा कार्य प्रारम्भ किए जाने हेतु संबन्धित ठेकेदारों से कोई पत्राचार किया गया था।

अतः वर्णित मोटर मार्ग के अंतर्गत कार्य अपूर्ण रहने से संबन्धित ग्रामीण मिलने वाली सुविधा से वंचित रहे।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक

(` लाख में)

अनुबंध संख्या	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि	अनुबंध के सापेक्ष
38/EE (KM 3.00 to 3.500)	13.26	09/07/2018	08/11/2018	6.90 (52%)
12/EE (KM 3.500 to 4.00)	10.29	11/06/2018	10/10/2018	5.72 (55%)
13/AE (KM 4.00 to 4.500)	8.25	12/06/2018	11/10/2018	6.41 (78%)
14/EE (KM 4.500 to 5.00)	11.46	12/06/2018	11/10/2018	1.75 (15%)
15/EE (KM 5.00 to 5.500)	10.03	12/06/2018	11/10/2018	1.90 (19%)
11/AE (KM 5.500 to 6.00)	7.87	11/06/2018	10/10/2018	1.38 (18%)
40/AE (KM 4.00 cross section 3/0 to 3/20)	9.78	18/08/2020	17/02/2021	6.61 (67%)

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 04: स्वीकृति प्राप्त होने के 12 वर्ष पश्चात भी कार्य का अपूर्ण रहना तथा मलवे का अनियमित निस्तारण किया जाना।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पोखड़ा में घूघटियापुल संगलाकोटी हाड़कोट मयालगाँव-देवराजखाल मोटर मार्ग (कुल लम्बाई – 12.00 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु रुपये 420.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा माह – 12/2008 में प्रदान की गयी थी जिसके अंतर्गत मार्ग की स्वीकृत लंबाई में पहाड़ कटान/ स्कपर/ कलवर्ट/ दीवार/ कच्चे भाग में सोलिंग/ प्रतिकर एवं निर्माण के दौरान अनुरक्षण आदि के कार्य संपादित किए जाने थे।

I) - संबन्धित ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़े जाने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को संपादित किया जाना चाहिए था।

परंतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि, पौड़ी की लेखापरीक्षा (माह-12/2020) में पाया गया था कि खण्ड द्वारा उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष विस्तृत आगणन (केवल 4.600 कि.मी. भाग हेतु)[1] का गठन प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के लगभग 10 वर्ष पश्चात किया गया था जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि, पौड़ी द्वारा दिनाँक – 29.06.2019 को रुपये 309.93 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात खण्ड द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के विपरीत कार्य को छोटे-छोटे भागों(अनुलग्नक-I) में विभाजित करते हुए अनुबंधों का गठन किया गया था जिनके अंतर्गत ₹ 148.43 लाख के व्यय उपरान्त कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक भी अपूर्ण था तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के 12 वर्ष पश्चात भी संबन्धित ग्रामों को मोटर मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष तत्समय ग्रामवासियों द्वारा समय-समय पर संरेखण हेतु विरोध/ विवाद किए जाने के कारण संरेखण का निर्धारण नहीं हो पाया था। इस अवधि में अन्यत्र भिन्न-भिन्न स्वीकृतियों के अंतर्गत कुछ गाँव संयोजित हो चुके थे तथा शेष गाँव को जोड़ते हुए संरेखण में बदलाव करते हुए मार्ग निर्माण किया जा रहा रहा था।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्रामवासियों के विवाद का समाधान किए जाने में 10 वर्ष का समय लगना तर्कसंगत नहीं था तथा इस संबंध में विभाग द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

II) – उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी प्राविधिक टिप्पणी के अनुसार "निर्माण से निकलने वाले मलवे को वैली साइड में गिरने से बचाया जाये तथा अधिकतम मलवे का निस्तारण मक डिस्पोजल स्थल पर ही किया जाये। मक डिस्पोजल स्थल पर मलवे को स्थिरता हेतु आवश्यक प्रविधान अनुबंध में किए जाये।" प्राविधिक टिप्पणी के अनुपालन में खण्ड द्वारा पहाड़ कटान से प्राप्त मलवे के निस्तारण हेतु मक डिस्पोजल स्थल का निर्माण कर मलवे का निस्तारण किया जाना चाहिए था।

[1] रुपये 319.13 लाख का

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि, पौड़ी की लेखापरीक्षा (माह-12/2020) के दौरान उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि खण्ड द्वारा मक डिस्पोजल हेतु मदों को विस्तृत आगणन में सम्मिलित कर उक्त मदों के सापेक्ष रुपये 13.32 लाख की प्राविधिक स्वीकृति तो प्राप्त की गयी थी परंतु कार्य के निष्पादन हेतु गठित अनुबंधों में मक डिस्पोजल हेतु कोई भी प्रविधान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण(पहाड़ कटान) से निकलने वाला मलवा कार्यस्थल पर ही पड़ा था तथा जिसके वैली साइड में गिरने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्राविधिक टिप्पणी के अनुपालन में पर्यावरणीय कारकों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यस्थल पर ही मलवे का निस्तारण किया गया था। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मक डिस्पोजल स्थल का निर्माण किए बिना मलवे का निस्तारण प्राविधिक टिप्पणी के अनुसार किया जाना संभव ही नहीं था तथा विभाग द्वारा मक डिस्पोजल स्थल के स्थान पर कार्यस्थल पर ही मलवे का निस्तारण किया जाना अनियमित था।

अत: विभागीय लापरवाही के कारण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के 12 वर्ष पश्चात भी कार्य के अपूर्ण रहने तथा कार्यस्थल से प्राप्त मलवे का अनियमित निस्तारण किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक – I

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	अनुबंधित धनराशि (रु॰ लाख में)	कार्य/ चैनेज	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
1	33/EE	11.66	Km 1(0/20-0/40)	Sh LMS rawat	21.09.19	20.03.20
2	34/EE	12.89	Km 2(1/00-1/20)	Sh Kunj Bihari	21.09.19	20.03.20
3	35/EE	10.49	Km 2(1/20-1/40)	Sh S C Kukreti	21.09.19	20.03.20
4	36/EE	11.49	Km 4(3/20-3/40)	Sh JMS Bisht	21.09.19	20.03.20
5	37/EE	11.83	Km 5(4/00-4/20)	Sh JMS Bisht	21.09.19	20.03.20
6	38/EE	13.89	Km 5(4/20-5/05)	Sh R S Kandari	21.09.19	20.03.20
7	40/EE	9.87	Km 3(2/0-2/20)	Sh S C Kukreti	11.11.19	10.05.20
8	41/EE	10.01	Km 3(2/20-2/40)	Sh S C Kukreti	11.11.19	10.05.20
9	60/AE	9.47	Defects Cutting	Sh LMS rawat	20.12.19	19.02.20
10	73/EE	10.73	Km 4(3/00-3/20)	Sh S C Kukreti	20.12.19	19.05.20
11	10/AE	4.28	Km 4(3/0-3/20) Pt II	Sh LMS rawat	12.06.20	11.12.20
12	11/AE	4.31	Km 3(2/20-2/40) Pt II	Sh LMS rawat	12.06.20	11.12.20
13	12/EE	8.20	Km 1(0/20-0/40) Pt II	Sh LMS rawat	12.06.20	11.12.20
14	13/EE	5.77	Km 2(1/20-1/40) Pt II	Sh LMS rawat	12.06.20	11.12.20
15	14/EE	4.19	Km 3(2/0-2/20) Pt II	Sh LMS rawat	12.06.20	11.12.20
16	15/EE	18.68	6 m RCC Bridge	Sh LMS rawat	12.06.20	11.03.21
17	22/AE	3.69	Km 2(1/00-1/20) Pt II	Sh Kunj Bihari	17.06.20	16.12.20
18	49/EE	13.39	Km 5(4/20-5/05) Pt II	Sh R S Kandari	09.10.20	08.04.21
19	50/AE	6.21	Km 4(3/20-3/40) Pt II	Sh JMS Bisht	09.10.20	08.04.21
20	51/AE	4.99	Km 5(4/00-4/20) Pt II	Sh JMS Bisht	09.10.20	08.04.21

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
19/1988-89	--	01	--
18/1989-90	--	01	--
23/1990-91	--	01	--
31/1992-93	--	01	--
61/1993-94	--	01	--
30/1995-96	01	--	--
27/1996-97	01	--	--
31/1997-98	01	03	--
41/1998-99	01, 02	01	--
61/1999-20	02	--	--
14/2000-01	01	--	--
48/2001-02	--	01	--
37/2002-03	01,02,03	--	--
11/2004-05	01	--	--
18/2005-06	01	01,02	--
23/2006-07	--	02	--
05/2009-10	01,02,03	--	--
50/2010-11	01,02,03	--	--
63/2011-12	--	01	--
60/2012-13	01	--	--
85/2015-16	01	01	--
87/2016-17	01	01	--
76/2017-18	01	01	--
68/2019-20	--	01,02	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
68/2019-20	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या 02:** ` 26.11 लाख GST धनराशि का अधिक भुगतान संविदाकारों को दिया जाना।	खण्ड द्वारा शासनादेश दिनांक 05.09.2017 के अनुसार संविदाकारों के बीजक पर तकनीकी संवर्ग द्वारा बनाई गई गणना शीट के अनुसार भुगतान प्रक्रिया अपनाई गई है। संविदाकारों द्वारा बीजक प्रस्तुत किए गए हैं जिनका भुगतान उपरोक्त शासनादेशानुसार किया जा रहा है। साक्ष्य संलग्न हैं।	लेखापरीक्षा दल द्वारा संबन्धित बीजकों का नमूना सत्यापन किया गया है जोकि खंडीय उत्तर की पुष्टि करते हैं। अतः प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।	अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के अभाव में प्रस्तर को यथावत रखा जाता है।
पूर्व के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जा चुकी है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेख **- माप पुस्तिका संख्या 259/L**
सतत अनियमितताएँ **- शून्य**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	ई. विपुल सैनी	अधिशासी अभियन्ता	21.01.19 से 24.12.19 तक
02.	ई. अरुण कुमार	अधिशासी अभियन्ता	24.12.19 से 06.01.20 तक
03.	ई. विपुल सैनी	अधिशासी अभियन्ता	06.01.20 से 09.01.20 तक
04.	ई. प्रत्यूष कुमार	अधिशासी अभियन्ता	09.01.20 से वर्तमान तक

3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री के.के. सागर	खंडीय लेखाधिकारी	07.06.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/13 दिनांकित 21.12.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
एएमजी-II/नाँन पीएसयू